हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विश्वविद्यालय परिसर के अन्तर्गत एम०एड० प्रवेश अधिसूचना सत्र: 2021-23

विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर, श्रीनगर एम० एड० प्रवेश हेतु, प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर पात्र प्रवेशार्थियों की सूची काउंसलिंग हेतु प्रस्तुत की रही है। इस परिसर में प्रवेश हेतु काउंसलिंग बिड़ला परिसर, श्रीनगर में आहुत की जा रही है। अतः बिड़ला परिसर श्रीनगर में प्रवेश हेतु इच्छुक इस सूची में शामिल प्रवेशार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे शिक्षा विभाग बिड़ला परिसर, श्रीनगर में उपस्थित होकर अपने शैक्षिक अभिलेखों की सत्यापन सुनिश्चित कर लें। अभ्यार्थियों से संबन्धित सूची https://online.hnbgu.ac.in पर उपलब्ध है।

शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन 08 जनवरी, 2022 को किया जायेगा।

नोटः- जो छात्र M.Ed. की प्रथम (27.12.2021) काउन्सलिंग में सम्मलित हो चुके हैं, उन्हें द्वितीय काउंसलिंग में दुबारा सम्मलित होने की आवश्यकता नहीं है। उन के अलावा सभी छात्र द्वितीय काउंसलिंग में आकर अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर ले ।

सत्यापन का समय प्रातः 10:00 बजे साय: 4 बजे तक

प्रवेश स्थान शिक्षा विभाग, बिड़ला परिसर श्रीनगर।

प्रवेशार्थियों को सूचित किया जाता है कि उन्हें निम्न प्रपत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। साथ ही इन शैक्षिक अभिलेखों के स्वः प्रमाणित दो सेट (फोटो कॉपी) भी अपने साथ लाएँ। अगर कोई भी प्रपत्र गलत या अधूरा/अस्पष्ट पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

1. एम० एड० प्रवेश परीक्षा 2021 का स्कोर कार्ड।

2. हाईस्कूल प्रमाण पत्र। (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)।

3. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंक तालिका (Mark sheet)।

4. इण्टरमीडिएट या समकक्ष डिग्री का प्रमाण पत्र (Certificate)।

5. स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा की अंक तालिका।

6. बी०एड०. परीक्षा की अंक तालिका।

7. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/ एवं अन्य किसी उप वर्ग (डिफेंस पर्सनल/ पर्सन विद डिसेबिलिटी (PwD)/ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित) प्रमाण-पत्र

(केंद्र सरकार के नियमानुसार) (अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।)।

8. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र, केन्द्र सरकार के नियामनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। उन्हें पिछले वित्तीय वर्ष के अपने माता-पिता का गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

9. दो पासपोर्ट साईज फोटो।

10. आधार कार्ड।

11. अधिभार अंकों से संबन्धित प्रमाण-पत्र (NCC/NSS/Sports/Co-Curricular activities, if claiming for weightage)।

जिन अभ्यार्थियों के दस्तावेजों जाँच के उपरान्त सही पाये जाते हैं एवं जो एन०सी०टी०ई० के मानकों के अनुरूप एम०एड०प्रवेश की न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते हो तथा वरीयता सूची में आने पर, उन अभ्यर्थियों की प्रवेश की अनुशंसा की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दी जायेगी।

जिन अभ्यर्थियों की प्रवेश की अनुशंसा की जाती है, उन्हें अधिसूचित समयावधि में बिड़ला परिसर, श्रीनगर में प्रवेश लेना होगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित फार्म भर कर परिसर में विश्वविद्यालय वेबसाइट/प्रवेशिका में निर्धारित फीस जमा करनी होगी।

जिन अभ्यर्थियों की प्रवेश की अनुशंसा की जाती है, उन्हें प्रवेश के समय उपरोक्त प्रपत्रों के अतिरिक्त 10 रू के स्टाम्प पेपर पर निम्न शपथ-पत्र देना होगा कि-

1.अभ्यर्थी किसी भी संस्थान में कार्यरत नहीं है और यदि है तो संस्थान से 2 वर्ष का अवकाश एवं कार्य मुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्रों में यदि किसी भी प्रकार की अवैधता पायी जाती है, तो उसका उत्तरदायी वह स्वयं होगा और प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

3. प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित चिकित्सा अधिकारी/ सी.एम.ओ./सी.एम.एस. द्वारा निर्गत मेडिकल प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।

4. प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण-पत्र भी जमा करना होगा कि वह विभाग द्वारा सुनिश्चित समयावधि के अन्दर अपने अन्तिम संस्थान (जहाँ अध्ययन किया हो) से जारी स्थानान्तरण पत्र (टी०सी०) एवं चरित्र प्रमाण-पत्र (मूल रूप में) विभाग में उपलब्ध कराएँगे, अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त समझा जायेगा, साथ ही हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थी को प्रवजन प्रमाण-पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) मूल रूप से देय समयावधि के अन्तर्गत विभाग में जमा करना होगा।

नोट:-

1.विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों की औपबंधिक (Provisional) सूची जारी कर, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु बुलाया जाना, किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की गारंटी नहीं देता है। प्रवेश, जांच के उपरांत एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट अनुसार दिये जायेंगे।

2.अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को बिड़ला परिसर, श्रीनगर में अपना प्रवेश सुनिश्चित करना होगा, साथ ही अधिसूचित समयावधि तक प्रवेश लेना होगा।

3. अगर किन्ही अपरिहार्य कारणों से सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया में विलम्ब होता है तो अभ्यर्थी को अगली तिथि तक श्रीनगर में प्रवास करना पड़ सकता है। अतः प्रवेशार्थी तदानुसार स्वयं की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

4. अभ्यर्थी को किसी प्रकार का टी.ए./ डी.ए. देय नहीं होगा।

5. इस सूची के आधार पर एम०एड०(श्रीनगर परिसर) में प्रवेश प्रक्रिया के उपरांत यदि सीटें रिक्त पायी जाती है, तो तदनुसार अग्रिम प्रवेशों की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbgu.ac.in पर उपलब्ध करवा दी जायेगी।

6. अभ्यर्थी द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी COVID-19 की जारी की गयी (SoP) नियमावली का पालन करना अनिवार्य है।

संयोजक

एमएड प्रवेश परीक्षा

शिक्षा विभाग

हे.न.ब.ग.विश्वविद्यालय

श्रीनगर (गढ़वाल)